ग्राम पंचायत राख, विकास खण्ड भवारना, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

भाग–एक

1 (क) प्रस्तावनाः–

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत राख, विकास खण्ड भवारना, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत राख में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थें:–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती निशा देंवी	1.4.14 से 22.1.16
2	श्रीमती रूकमणी देंवी	23.1.16 से 31.3.17

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री कानु राम	1.4.2014 से 31.3.17

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत राख के लेखाओं अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	7	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.36
2	8	अनुदान राशि का उपयोग न करना	11.88
3	9	प्राप्त अनुदानों से अधिक व्यय करना	0.59

4	10	प्राक्कलन तैयार किये बिना निर्माण कार्यों पर व्यय करना	14.79
5	12	माप पुस्तिकाओं में संविदाकार लाभ व ऊपरी खर्च की राशि कम न करने के कारण अधिक भुगतान करना	0.78
6	13	मजदूरी के रूप में किए गए भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	0.84

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत राख, विकास खण्ड भवारना, डाकघर राख, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विपुल सूद, अनुभाग अधिकारी एवं श्री ध्रुव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 15.2.2018 से 19.2.2018 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय की जाँच के लिए चयनित माह	व्यय की जाँच के लिए चयनित माह
2014—15	12/2014	12/2014
2015—16	2/2016	9/2015
2016—17	6/2016	12/2016

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण ग्राम पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख पर आधारित है। अंकेक्षण को प्रदत्त किसी गलत एवं अपूर्ण सूचना अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत राख, विकास खण्ड भवारना, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 009/2018 दिनांक 19.2.2018 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत राख से अनुरोध किया गया। तदानुसार सचिव ग्राम पंचायत राख द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक, शाखा चचियाँ के बैंक ड्राफ्ट संख्या 762486 दिनांक 26.2.2018 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को प्रेषित कर दिया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत राख द्वारा प्रस्तुत अभिलेख अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

(क) स्वः स्त्रोतः–

ग्राम पंचायत राख के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक स्वः स्त्रोतों की वितीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2014–15	87361.20	61415	148776.20	83886	64890.20
2015–16	64890.20	32664	97554.20	40450	57104.20
2016–17	57104.20	61166	118270.20	47412	70858.20

(ख) समेकित वित्तीय स्थिति (अनुदान राशियाँ)

ग्राम पंचायत राख के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक की समेकित अनुदानों (सभी स्त्रोतों से प्राप्त अनुदान का आय व व्यय) को वित्तीय स्थिति का विवरण

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2014–15	342618.40	2434553	2777171.40	2466150.10	311021.30
2015–16	311021.30	3559468	3870489.30	3117104.50	753384.80
2016–17	753384.80	3246693	4000077.80	2784815.00	1215262.80

दिनांक 31.3.2017 को अन्तशेष

रोकड़ बहियों के अनुसार (क+ख)	1215262.80+70858.20	1286121	
बैंक अनुसार (विवरण संलग्न)	1285119		
हस्तगत राशि	488		(सामान्य रोकड़ बही)
	514		(मध्य हिमालय जलागम रोकड़ बही)
योग	**1286121**		
अन्तर	**शून्य**		

ग्राम पचायत राख

विकास खण्ड भवारना

जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

क्र0सं0	बैंक का नाम	खाता सं0	दिनांक 1.4.14 को अथशेष	दिनांक 31.3.17 को अन्तिम शेष
1	हि0प्र0 ग्रामीण बैंक चचियाँ	87710100102704	0	0
2	हि0प्र0 ग्रामीण बैंक चचियाँ	87710100102689	14360	38334
3	हि0प्र0 ग्रामीण बैंक चचियाँ	87710100102659	145814	57768
4	हि0प्र0 ग्रामीण बैंक चचियाँ	87710100102722	15187	3019
5	हि0प्र0 ग्रामीण बैंक चचियाँ	87710100101246	0	35839
6	हि0प्र0 ग्रामीण बैंक चचियाँ	87710100102713	12	0
7	हि0प्र0 ग्रामीण बैंक चचियाँ	87710100102661	1302	0
8	हि0प्र0 ग्रामीण बैंक चचियाँ	87710100102698	0	0
9	हि0प्र0 ग्रामीण बैंक चचियाँ	87710100102670	24919	3609
10	कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक नगरी	20081005368	207986.50	1106127
	मध्य हिमालय जलागम परियोजना			
11	कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक नगरी	20081005482	206	404230

	आई0डब्लयूडीपी			
12	हि0 ग्रामीण बैंक	87710100071402	16305	0
13	मनरेगा हि0 ग्रामीण बैंक चचियाँ	87710100032218	3249.10	0
		योग	**429340.60**	**1285119**
		हस्तगत राशि		
	सामान्य रोकड़ बही		125	488
	मध्य हिमालय जलागम रोकड़ बही		514	514
		कुल योग	**429979**	**1286121**

नोटः— ग्राम पंचायत राख की वित्तीय स्थिति का सम्पूर्ण विस्तृत विवरण (रोकड़ बही अनुसार) इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के **"परिशिष्ट—1 से 4"** में दिया गया है।

5 रोकड़ बहियों का रख रखाव नियमानुसार न करनाः—

ग्राम पंचायत की रोकड़ बहियों के अवलोकन पर पाया कि पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख रखाव नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में न तो अथशेष व अन्तिम शेष से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ दर्ज की जा रही है एवं न ही पंचायत की आय/प्राप्त अनुदानो से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रविष्टियाँ रोकड़ बहियों में दर्ज की जा रही है। पंचायत द्वारा केवल मात्र प्राप्त आय एवं व्यय को ही रोकड़ बही में दर्ज कर उसका शेष शून्य कर दिया जा रहा है, जो न केवल अनियमित व आपत्तिजनक है। अपितु लेखांकन के सिद्धान्तों के विरूद्ध भी है क्योंकि नियमानुसार रोकड़ बहियों के अथशेष में प्राप्त आय को जमा करने के उपरान्त एवं व्यय की प्रविष्टियों को उससे कम किया जाता है तथा प्राप्त अन्तिम शेष की प्रविष्टियों को अन्तिम कार्य दिवस पृष्ठ/माह के अथशेष के रूप में दर्शाया जाता है। किन्तु पंचायत द्वारा रोकड़ बही के लेखन में नियमानुसार अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की पूर्ण अवहेलना की जा रही है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए रोकड़ बहियों का रख रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 एवं 10 तथा अन्य सम्बन्धित नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में अथशेष व अन्तिम शेष न दर्शाने के कारण पंचायत की वित्तीय स्थिति अंकेक्षण अवधि दर्शाने/बनाने हेतु 1.4.2014 को पंचायत के सम्बन्धित रोकड़ बही के बैंक खातों में जमा शेष राशि तथा हस्तगत राशि को वर्ष 2014–15 का अथशेष के रूप में दर्शाया गया है।

अतः पंचायत को अंकेक्षण अवधि की रोकड़ बहियों का नियमानुसार लेखन किया जाना सुनिश्चित करते हुए भविष्य में भी नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए तथा कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 बजट प्राक्कलन तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम–37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन निर्धारित प्रपत्र पर तैयार नहीं किया गया है। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने/निर्धारित प्रपत्र पर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए एवं कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

7 पंचायत राजस्व ₹0.36 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया कि निम्नविवरणानुसार दिनांक 31.3.2017 तक पंचायत राजस्व ₹36080 वसूली हेतु शेष था, जिसकी अतिशीघ्र वसूली की जाए।

(क) गृहकरः–

वर्ष	**अथशेष**	**मांग**	**योग**	**प्राप्ति**	**वसूली हेतु शेष राशि**
2014–15	6640	20460	27100	27100	0
2015–16	0	20460	20460	18840	1620
2016–17	1620	20460	22080	0	22080

(ख) मोबाईल टावरः–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014–15	8000	2000	10000	0	10000
2015–16	10000	2000	12000	0	12000
2016–17	12000	2000	14000	0	14000

8 अनुदान ₹11.88 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–5)** के अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक अनुदान ₹1187976 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए। अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

9 प्राप्त अनुदान से ₹0.59 लाख का अधिक व्यय करनाः–

ग्राम पंचायत राख द्वारा प्राप्त अनुदान राशियों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाये गये अभिलेख **"परिशिष्ट–5"** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.3.2017 को ₹58577 प्राप्त अनुदान अधिक व्यय की गई थी। ग्राम पंचायत को विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त/प्रदान किये गये अनुदान राशियों के स्वीकृति पत्र में वर्णित शर्तों अनुसार व्यय को प्राप्त अनुदान राशि तक सीमित किया जाना अपेक्षित था एवं पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान राशि से अधिक किया गया व्यय अनियमित व आपत्तिजनक होने के अतिरिक्त उक्त व्यय पंचायत द्वारा किस स्त्रोत से किया गया है, के सन्दर्भ में आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाते हुए प्राप्त अनुदान राशि से अधिक व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति हेतु प्रकरण सम्बन्धित संस्था से उठाते हुए इसकी प्रतिपूर्ति सुनिश्चित की जाए एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

10 निर्माण कार्यों का प्राक्कलन तैयार किए बिना ₹14.79 लाख का अनियमित व्यय करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **"परिशिष्ट—6"** में दिए गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹1478628 का व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में निर्माण कार्यों का निष्पादन नियमानुसार किया जाए।

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹2.15 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **"परिशिष्ट—7"** में दिये गये विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹215195 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

G.P. Rakh

12 माप पुस्तिकाओं में संविदाकार लाभ व उपर खर्च (Contractor Profit and over head charge" की 15% राशि कम न करने के कारण ₹0.78 लाख का अधिक भुगतान करनाः–

ग्राम पंचायत राख द्वारा अंकेक्षण अवधि के चयनित मासों में पंचायत के विभिन्न विकासात्मक कार्यों को विभागीय स्तर पर करवाया गया है। **"परिशिष्ट–8"** में दिए गए विवरणानुसार उक्त कार्यों के मस्ट्रोलों व सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं में दर्ज कार्य प्रगति की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा माप पुस्तिकाओं में दर्ज कुल कार्य प्रगति में से संविदाकार लाभ एवं उपरी खर्च के रूप में 15% राशि को कम नहीं किया गया हैं जबकि विभागीय स्तर पर कार्य करवाये जाने के कारण यह राशि कम की जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार मजदूरी के रूप में ₹78340 का अधिक भुगतान किया गया है।

अतः पंचायत द्वारा संविदाकार लाभ व अन्य खर्च की राशि 15% को कार्य प्रगति से कम न करके पूर्ण राशि को कार्य प्रगति के रूप में दर्शाने के कारणों बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए अधिक भुगतान की गई ₹78340 की वसूली उचित स्त्रोत से की जाये तदानुसार अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये। इसके अतिरिक्त भविष्य में माप पुस्तिका में विभागीय स्तर पर कार्य करवाये जाने पर संविदाकार लाभ व ऊपरी खर्च (Contractor Profit overhead charges) के रूप में 15% राशि की कटौती करना सुनिश्चित किया जाए।

13 मजदूरी के रूप में ₹0.84 लाख के भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः–

ग्राम पंचायत राख द्वारा ₹83571 का भुगतान मजदूरी के रूप में निम्न विवरण अनुसार किया गया हैः–

क्र0सं0	वा0 क्रमांक	दि0	मस्ट्रोल क्रमांक	अवधि	कार्य का नाम	राशि (₹)
मनरेगा						
1	103	12.12.14	2648, 2649	16.11.14 से 30.11.14	अपग्रेडेशन कूहल मुन्शी राम की जमीन से किरपा राम की जमीन तक	9856
2	104	12.12.14	2650	16.11.14 से 30.11.14	–यथोंपरि–	2168

3	106	12.12.14	2646	16.11.14 से 30.11.14	अपग्रेडेशन कूहल चमनू राम के घर के पास	17864
4	107	12.12.14	2647	16.11.14 से 30.11.14	–यथोंपरि–	1355
सामान्य						
5	68	2.12.14	004	8/14	निर्माण सराय मणिमहेश मन्दिर	28248
6	82	27.12.14	005	11/14	निर्माण ड्रेन नजदीक भीमा राम घर वार्ड नं0 5	15840
7	45	14.9.15	007	2/15	निर्माण रास्ता नरेगा रोड से सन्तोष के घर तक	240
					योग	**₹83571**

ग्राम पंचायत के नियन्त्रण अधकारी द्वारा उपरोक्त वर्णित विवरण/मस्ट्रोलों अनुसार मजदूरी के रूप में किये गये भुगतान से सम्बन्धित कार्य प्रगति की जाँच हेतु सम्बन्धित माप पुस्तिकायें अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिनके अभाव में इस बात की पुष्टि वर्तमान अंकेक्षण में नहीं की जा सकी कि मजदूरों को किये गये कार्य हेतु वास्तव में इतनी मजदूरी देय थी अथवा नहीं?

अतः उपरोक्त वर्णित मस्ट्रोलों से करवाये गये निर्माण कार्यो से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें आगामी अंकेक्षण के दौरान जाँच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित की जाए ताकि उनकी तदानुसार जाँच की जा सके।

14 वर्ष 2015–16 के मनरेगा व्यय वाउचर जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः–

ग्राम पंचायत राख द्वारा वर्ष 2015–16 में मनरेगा मद के अन्तर्गत किये गये व्यय से सम्बन्धित व्यय वाउचर वर्तमान अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा इस सन्दर्भ में अंकेक्षण को बताया गया कि यह व्यय वाउचर खण्ड विकास अधिकारी, भवारना के कार्यालय में जमा करवा दिये गये है, जिस सम्बनध में पचांयत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के **"परिशिष्ट–9"** में दिया गया है। अतः इस कारण पंचायत के मनरेगा के वर्ष 2015–16 के व्यय वाउचरों की जाँच वर्तमान अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। अतः उक्त अवधि के व्यय

वाउचरों को खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करने उपरान्त जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए ताकि उनकी तदानुसार जाँच की जा सके।

15 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व अन्य विभिन्न नियमों के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	विनिधानों के लिये रजिस्टर	1	12 (1) 27 (1)
2	रसीद पुस्तकों का स्टॉक रजिस्टर	4	13 (5)
3	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्अर	9	30
4	मांग व संग्रहण रजिस्टर	10	33 77 (4)
5	बजट प्राक्कलन रजिस्टर	11, 12	37, 38
6	अनुपभोज्य वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर	25	72 (1)
7	लेखन सामग्री से भिन्न उपभोज्य वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर	26	72 (1) (ख)
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1) (ग)
9	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आंकलन का रजिस्टर	31	96 (1)

16 प्रत्यक्ष सत्यापन:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह के बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में ला कर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

G.P. Rakh

17 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

18 **निष्कर्षः—** लेखों के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता के अतिरिक्त रोकड़ बहियों का लेखांकन नियमानुसार सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

हस्ता/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 189/2018—खण्ड—1—4149—4152 दिनाँक 06.06.2018 शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत राख, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भवारना जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881